UPSC के सौ वर्ष: चयन में ज्ञान के साथ विवेक और सेवा-भाव

समाचार संदर्भ: 30 सितंबर–1 अक्टूबर 2026 के शताब्दी कार्यक्रम | लोक सेवा • शासन | GS-II/IV

अच्छा उत्तर याद होना और अनिश्चित परिस्थिति में न्यायसंगत निर्णय लेना अलग क्षमताएँ हैं। लोक सेवा की चयन प्रणाली को दोनों के बीच संबंध बनाना है।

खबरों में क्यों

30 सितंबर 2026 को UPSC के शताब्दी कार्यक्रम 'मंथन' में अध्यक्ष ने तर्क, स्वतः विचार और अस्पष्ट परिस्थितियों में निर्णय की क्षमता के मूल्यांकन पर जोर दिया। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने चयन में ज्ञान के साथ लोक सेवा की प्रेरणा तथा समस्या-समाधान की क्षमता को महत्व देने की बात कही। ये सुधार की दिशा पर विचार हैं, अपने आप में नया पाठ्यक्रम या परीक्षा-पद्धति लागू करने की अधिसूचना नहीं।

क्षमता-आधारित मूल्यांकन का अर्थ

सिर्फ सूचना दोहराने के बजाय यह देखना कि व्यक्ति सूचना का उपयोग कैसे करता है। तर्क से निष्कर्ष निकालना, अनजान समस्या में विकल्प पहचानना और अधूरी जानकारी में निर्णय के कारण बताना इसके हिस्से हैं। इसका अर्थ विषय-ज्ञान को अनावश्यक मानना नहीं है।

मुख्य तथ्य

संवैधानिक आधार: लोक सेवा आयोगों का ढाँचा संविधान के अनुच्छेद 315–323 में है। UPSC की भूमिका भर्ती परीक्षाओं के अलावा भर्ती के तरीकों, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी परामर्श तक जाती है।

अटल कसौटियाँ: शताब्दी कार्यक्रम में योग्यता, निष्पक्षता और समान अवसर को स्थायी आधार बताया गया। विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक को आगे की दिशा से जोड़ा गया।

पहले से चलती प्रक्रिया: आधिकारिक विवरण में डिजिटल प्रवेश-पत्र और चेहरे के प्रमाणीकरण का उल्लेख है। हर तकनीकी उपाय शताब्दी दिवस पर शुरू नहीं हुआ; पंजीकरण और प्रमाणीकरण के अलग पहले के चरण हैं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

नई कसौटी की परीक्षा कौन लेगा?

विश्वसनीय मूल्यांकन: निर्णय-क्षमता जाँचने वाला प्रश्न उपयोगी तभी है जब मूल्यांकनकर्ताओं के मानक स्पष्ट और एकसमान हों। केवल उत्तर की प्रभावशाली भाषा को विवेक का पर्याय न बनाएँ।

समान अवसर: भाषा, आर्थिक पृष्ठभूमि और तकनीक तक पहुँच अलग हो सकती है। नया मूल्यांकन किसी खास प्रशिक्षण या शहरी अनुभव को अनजाने में लाभ न दे।

समय की निष्पक्षता: लंबे भर्ती चक्र तैयारी, किराए और यात्रा का खर्च बढ़ाते हैं। समय-निश्चितता भी समान अवसर का प्रश्न है, पर गति के लिए जाँच की गुणवत्ता नहीं घटनी चाहिए।

विश्लेषण और आगे की राह

सुधार को पहले सीमित परीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन से गुजारा जा सकता है। परिस्थिति-आधारित प्रश्नों में अपेक्षित क्षमता, अंक देने के मानदंड और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण स्पष्ट हो। अलग भाषाओं तथा सामाजिक समूहों के परिणाम देखकर छिपे पक्षपात की जाँच की जाए। तकनीकी प्रमाणीकरण में विफलता पर मानवीय सहायता और वैकल्पिक सत्यापन हो। उम्मीदवारों की जानकारी सुरक्षित रहे। बदलाव की पर्याप्त अग्रिम सूचना और प्रभावी शिकायत व्यवस्था जरूरी है। चयन के बाद प्रशिक्षण तथा कार्यस्थल पर वास्तविक प्रदर्शन से भी कसौटियों की उपयोगिता परखी जानी चाहिए।

अवधारणा में अंतर

परीक्षा की निष्पक्षता, पहचान का प्रमाणीकरण और प्रशासनिक विवेक का मूल्यांकन अलग काम हैं। चेहरे की सही पहचान यह प्रमाणित नहीं करती कि उम्मीदवार का निर्णय भी अच्छा होगा।

मेंस दृष्टि

GS-II में संवैधानिक निकाय व भर्ती सुधार; GS-IV में लोक सेवा की प्रेरणा और विवेक। सुधार के लाभ के साथ मापनीयता, समावेशन और उत्तरदायित्व जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

लोक सेवा की चयन प्रणाली में ज्ञान के साथ निर्णय-क्षमता और सेवा-भाव का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निष्पक्षता और समान अवसर बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: लोक सेवा में विषय-ज्ञान के साथ अधूरी जानकारी में तर्कपूर्ण निर्णय और जनहित के प्रति सेवा-भाव जरूरी हैं। चयन को सूचना याद रखने और प्रशासनिक समस्या में उसका उचित उपयोग करने, दोनों की क्षमता परखनी चाहिए।

मुख्य भाग में: परिस्थिति-आधारित प्रश्न विवेक और समस्या-समाधान जाँच सकते हैं, पर स्पष्ट अंक-मानदंड व प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता जरूरी हैं। प्रभावशाली भाषा को अच्छे निर्णय का पर्याय न बनाएँ। भाषा, आर्थिक पृष्ठभूमि और तकनीकी पहुँच के अंतर से पक्षपात रोकें। भर्ती चक्र की समय-निश्चितता समान अवसर से जुड़ी है। पहचान का तकनीकी प्रमाणीकरण और निर्णय-क्षमता का मूल्यांकन अलग काम हैं; तकनीकी विफलता पर वैकल्पिक सत्यापन मिले।

निष्कर्ष में: सीमित परीक्षण, स्वतंत्र समीक्षा, समूह-वार परिणामों की जाँच, अग्रिम सूचना और शिकायत व्यवस्था सुझाएँ। उम्मीदवारों की जानकारी सुरक्षित रहे तथा चयन की कसौटियाँ प्रशिक्षण व वास्तविक कार्य से भी परखी जाएँ; सुधार-वक्तव्य को नया परीक्षा-पैटर्न लागू होना न मानें।

स्रोत

- मंथन में अध्यक्ष का वक्तव्य और संस्थागत विवरण, 30 सितंबर 2026
- शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन, 1 अक्टूबर 2026

याद रखें: सुधार की दिशा पर वक्तव्य, नए परीक्षा नियम लागू होने की अधिसूचना नहीं है।